

6- कर्मचारियों की सेवा की सुगमता जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशाशील उद्यमों में आर्थिक विद्यमानों के कर्मचारियों को अनुमति सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यमान का रिहाई नियमित प्रवृत्ति/पंजीकृतों में रखा जायेगा ।

9- उपर्युक्त में राज्य सरकार के ध्यानुमोदन के बिना कोई पंजीकृत/पंजीकृत या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि कर्मचारियों के लिए औषधीय योजना लागू कर दिया गया है तथा सभी कर्मचारियों को जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सम्मिलित है, नियमानुसार वेतनमान का भुगतान तथा वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाय । निवृत्तता में पर्याप्त सेवा में कामे उपलब्ध कराया जाय तथा निजी भवन की व्यवस्था एक वर्ष के भीतर कर भवन को अग्रस्त कराया जाय ।

3- उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या विविक्षता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

राज्यीय मंत्रालय
उप सचिव ।

पृष्ठ 10

11/15-7-1994 तद्विनिर्दिष्ट

प्रतिनिधि विभाग/विभाग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रधान, लिमिटेड स्वायत्ती रेलवे रोड सिन्धुदराबाद बुलन्दशहर ।

आज्ञा है,

12.9.94
राज्यीय मंत्रालय
उप सचिव ।

पंजीकृत

संख्या-8044016/15-7-94-16471/1994

1

प्रश्न,

श्री आनंद शर्मा,
उम. 31 वर्ष,
उत्तर प्रदेश राज्य।

वै. सं. 11

No Objection

Carthage

विषय,
श्री आनंद शर्मा द्वारा विद्यार्थी
पद के लिए अनुदान के प्रतीपक्ष

वि. सं. 11 अनुभाग

महोदय दिनांक:

14

सितम्बर, 1994

विषय:- रिजर्वेशन एकाडेमी के लिये दोष विद्यार्थी द्वारा अनुदान को श्री आनंद शर्मा
को प्रदान करने से सम्बन्धित अनुदान के प्रतीपक्ष दिने जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

अनुदान विभाग पर श्री आनंद शर्मा का पत्र है कि रिजर्वेशन एकाडेमी
के लिये दोष विद्यार्थी द्वारा अनुदान को प्रदान करने से सम्बन्धित
प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आमति
नहीं है।

- 1- विद्यार्थी की प्रतीपक्ष-प्रतीपक्षी का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा।
- 2- विद्यार्थी की प्रतीपक्ष-प्रतीपक्षी में शिक्षा निदेशक द्वारा वांछित एक
सदस्य होगा।
- 3- विद्यार्थी में कम से कम दो प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा द्वारा संवाहित विद्यार्थियों में विभिन्न वर्गों
के लिए निर्धारित गुण से अधिक गुण नहीं दिया जायेगा।
- 4- शिक्षा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद से केसि
शिक्षा परिषद से मांगवा प्राप्त है तथा विद्यार्थी की सम्बन्धित
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिज फार दि. 1/1/1994
राष्ट्रिय शिक्षा निदेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परी
परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मांगवा
तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5- शिक्षा निदेशक एवं निदेशक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त
विद्यार्थी वर्गों के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य वर्गों
के कम वेतनमान तथा अन्य वर्गों नहीं दिये जायेंगे।